



राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड  
संयोजक: बैंक ऑफ इण्डिया

पत्रांक संख्या : रा० स्त० बैं० सं० / 2020-21/330

दिनांक :31.12.2020

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के समस्त सदस्य को पत्र

महोदय/महोदया,

**विषय:-** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की सितम्बर त्रैमासिक 2020 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के त्रैमासिक सितम्बर 2020 की समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक 11.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट ([www.slbcjharkhand.org](http://www.slbcjharkhand.org)) पर अपलोड कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेशन किया जा सके।

भवदीय

रविंद्र कुमार दास

महाप्रबंधक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

संगलन:- उपरोक्त अनुसार





**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड**  
**संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया**  
**दिनांक : 11.11.2020**  
**स्थान - बिरसा मुंडा सभागार, SLBC, रांची**

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 73 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत्त**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 73वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन बिरसा मुंडा सभागार, SLBC, रांची से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिनांक 11.11.2020 को किया गया। बैठक में वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ॰ मदनेश कुमार मिश्रा, दिल्ली से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। साथ ही श्रीमती हिमानी पाण्डेय सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड सरकार, श्रीमती आराधना पटनायक, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार एवं श्री अब्बककर सिद्दीख, सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुये। भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के महाप्रबन्धक श्री संजीव दयाल, नाबार्ड राँची क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबन्धक श्री ए के पाढ़ी, एसएलबीसी, झारखंड के महाप्रबंधक श्री रबीन्द्र कुमार दास, बैंक ऑफ इंडिया (एनबीजी, झारखंड एवं छत्तीसगढ़) के उप-महाप्रबंधक श्री गणेश टोप्पो एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबन्धक श्री राजेश रंजन तिवारी एसएलबीसी के बिरसामुंडा सभागार में उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, PFRDA से सीजीएम, सभी बैंकों के राज्य नियंत्रक, सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े हुए थे।

बैठक की शुरुवात राष्ट्रगान के साथ किया गया तत्पश्चात एसएलबीसी सभागार में उपस्थित अतिथियों का स्वागत एसएलबीसी, झारखंड के महाप्रबंधक श्री रबीन्द्र कुमार दास के द्वारा किताब भेंट कर किया गया। त्रैमासिक बैठक में मंच का संचालन श्री विभव कुमार के द्वारा किया गया। श्री कुमार ने उपरोक्त बैठक को प्रारम्भ करने हेतु SLBC, महाप्रबंधक श्री रबीन्द्र कुमार दास को संबोधन के लिए आमंत्रित किया।

श्री दास ने सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि देश में कोरोना महामारी एवं लॉक डाउन की स्थिति में सभी बैंककर्मियों, पुलिस, चिकित्सा विभाग, मीडिया कर्मियों तथा अन्य कोरोना वारियर्स के द्वारा किए गए कार्यों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सभी कोरोना वारियर्स के द्वारा समाज और देश के प्रति किए गए कार्यों हेतु आभार जताया। श्री दास ने उड़ीसा सरकार द्वारा बैंककर्मियों को कोरोना वारियर्स का दर्जा दिये जाने का जिज्ञा करते हुये झारखंड सरकार को भी इस दिशा में पहल हेतु अनुरोध किया। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय तिमाही में राज्य के सभी बैंकों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के प्रयाशों की सराहना की एवं सबका आभार प्रकट किया। साथ ही साथ राज्य के सभी अग्रणी ज़िला प्रबंधकों द्वारा वर्ष 2020-21 के द्वितीय तिमाही में लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों की भी सराहना की। श्री दास ने बताया कि सभी बैंकों के सामूहिक प्रयाशों के कारण राज्य के सभी गाँव बैंकिंग-आउटलेट से जुड़ गए हैं तथा राज्य में प्रत्येक 5 किलोमीटर के क्षेत्र कम से कम एक बैंकिंग-आउटलेट द्वारा कवर किया जा चुका है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने सभी बैंकों एवं अन्य सदस्यों को बधाई दी। गत तिमाही में बैंकों के कुल जमा, कृषि, MSME सेक्टर में वृद्धि हुई है जिसके लिए समस्त बैंक, LDM, राज्य सरकार बधाई के पात्र हैं। श्री दास ने बताया कि राज्य में कोरोना महामारी एवं लॉक डाउन के दौरान पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 76 लाख महिलाओं को रु 500/- का भुगतान अप्रैल, मई एवं जून माह में बैंकों द्वारा किया गया, जिसमें सभी बैंकों ने सरहनीय कार्य किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत ECLGS, PM SVANidhi योजना में सभी बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की तथा उन्होंने सभी बैंकों को सलाह भी दिया कि इस योजना का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुँचाने में अपना अहम सहयोग दे, जिससे वर्तमान परिस्थितियों में राज्य में व्यापार एवं उद्योगों को वापस पटरी पर लाया जा सके। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित केसीसी Saturation ड्राइव की बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने हेतु बैंकों को और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। झारखंड मिलक फेडरेशन, डेयरी-फिशोरी विभाग के द्वारा बैंकों को भेजी गई केसीसी आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करने हेतु विशेष ध्यान देने की बात कही। श्री दास ने बताया कि सभी बैंक, एलडीएम, कृषि विभाग की यह जिम्मेवारी है



कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस विशेष अभियान को सफल बनाएं। श्री दास ने राज्य सरकार द्वारा एनपीए रिकवरी के प्रयासों की सराहना करते हुए आगे भी सहयोग की अपेक्षा बतायी एवं लंबित SARFAESI, DRT, CERTIFICATE CASE के मामलों को जल्द निपटारे हेतु आग्रह किया।

श्री दास ने आगे कहा कि बैंकों के एनपीए रिकवरी हेतु राज्य सरकार से सर्टिफिकेट केस के मामले में विशेष सहयोग की आवश्यकता है। श्री दास ने बताया कि सभी बैंकों के सहयोग से सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे - पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई) तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर सरहनीय कार्य किया है। इस उपलब्धि में हमारे सभी एलडीएम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई अन्य क्षेत्रों में भी अपेक्षाकृत हमारे राज्य का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है, एवं हमें अन्य Key पारामीटर के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। श्री दास ने बताया कि केनरा बैंक द्वारा लगभग 3000 करोड़ एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 5000 करोड़ ₹ कुल ऋण में कमी होना चिंता का विषय है जिससे राज्य का सीडी रेशियो घटकर सितम्बर तिमाही में 50.05% रह गया है। केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे आकस्मिक ऋण सहायता योजना (ECLGS) के अंतर्गत राज्य के MSME यूनिट को बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान किया जा रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्र जैसे एग्रिकल्चर ऋण, रुपे कार्ड एक्टिवेशन, CD रेशियो, RSETI क्रेडिट Linkage, एनपीए रिकवरी में और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। श्री दास ने पूर्वी सिंहभूम के 100% Digitisation के संबंध में सभी बैंकों, एलडीएम एवं अन्य स्टेक होल्डरों से आग्रह किया कि 31.03.2021 तक ज़िले को पूर्ण डिजिटल बनाने हेतु समूहिक प्रयास करें।

इस सम्बोधन के पश्चात नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री ए के पाट्टी को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। श्री ए के पाट्टी ने सम्बोधन के पश्चात कहा कि इस कोरोना काल में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कठिन समय है, लेकिन यह अपार संतुष्टि देता है कि कम से कम इस तरह बैठक में मिलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एसएलबीसी को नियमित बैठक आयोजन करने हेतु बधाई दिया और आशा व्यक्त किया कि कुछ महीनों में कई चीजें बेहतर हो जाएंगी, तब हम नियमित रूप से एसएलबीसी की बैठक कर पाएंगे। महामारी का वर्ष होने के बावजूद, यह वर्ष कृषि के लिए काफी अच्छा वर्ष रहा। वास्तव में, हम चालू वर्ष के दौरान लगभग 300 मिलियन टन अनाज का उत्पादन प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अच्छे मॉनसून एवं मजदूरों के रिवर्स माइग्रेशन ने कृषि उत्पादन में बहुत योगदान दिया है।

उन्होंने झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को बधाई देते हुए कहा कि उक्त बैंको के द्वारा विशेष रूप से अल्पावधि कृषि ऋण संवितरण में वृद्धि हुई है, उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग चार गुना वृद्धि प्राप्त की है, जो कि चालू वर्ष के पहले छह महीने में 1005 करोड़ रुपये तक है। यह वास्तव में उल्लेखनीय है। उन्होंने आगे बताया कि वाणिज्यिक बैंक हों, ग्रामीण बैंक हों या सहकारी बैंक, सभी के Investment क्रेडिट और समग्र कृषि ऋण में काफी गिरावट आयी है जो कि गंभीर चिंता का विषय है, हमें इस पर भी ध्यान देना होगा।

श्री पाट्टी ने आगे चर्चा की जैसे GM, SLBC ने CD ratio के बारे में चर्चा कर रहे थे, वास्तव में CD ratio एक बड़ी चिंता का विषय रहा है और हम इस मुद्दे को हर एसएलबीसी बैठकों में उठाते रहे हैं, CD ratio में 54.94% से 50.05% की गिरावट दर्ज की गयी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 20 से अधिक जिलों में CD ratio 40% से कम है जो कि वास्तव में एक चिंतित करने वाला आंकड़ा है। पिछले SLBC बैठक में भी चर्चा की गयी थी एवं एलडीएम से अनुरोध किया गया कि वे ऐसे सभी जिले में सीडी अनुपात समितियों (MAP) का गठन करें तथा नियमित रूप से सीडी अनुपात में सुधार हेतु उपाय करें। समयानुसार सीडी अनुपात में सुधार करने के लिए सभी जिलों में योजना बनानी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम किसान लाभार्थियों को आधार संख्या के बिना, केसीसी नहीं दिया जा सकता है और हाल ही में सचिव के साथ हुई एक बैठक में, हमने तय किया कि सभी केसीसी को आधार नंबर से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही सभी KCC को Aadhar के साथ मैप करने की समयबद्ध कार्य योजना होनी चाहिए। जब तक आधार लिंक नहीं होता है, हम कभी भी केसीसी संतुष्टि का समाधान नहीं कर सकते हैं। डेयरी विभाग ने लगभग 30,231 applications प्रायोजित किये गए हैं, जिनमें से अब तक केवल 10% को मंजूरी दी गई है, 70% आवेदन विभिन्न बैंक की शाखाओं में लंबित है, कुछ applications को अस्वीकार भी कर दिया गया है। इसी तरह, मत्स्य पालन के मामले में भी मत्स्य विभाग द्वारा 16,477 आवेदन पत्र जुटाए गए हैं,



और बैंको ने मात्र 3% आवेदनों को मंजूर किया गया है लंबित आवेदनों की लगभग संख्या 82% है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। एसएलबीसी उपसमिति की बैठक में भी हमने चर्चा की है कि कुछ applications को अग्रेषित किया गया है जहाँ लाभार्थियों के पास एक भी पशु नहीं थे। इस संबंध में संबंधित विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता बतायी। नाबार्ड द्वारा सचिव कृषि, GOJ से DLTC और SLTC के गठन हेतु अनुरोध किया।

श्री पाढ़ी द्वारा जानकारी दी गई कि भारत सरकार की Agri Infrastructure Infrastructure योजना के तहत 25% की सब्सिडी का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि उधारकर्ता को विशेष रूप से ब्याज दर से कम दर पर ऋण मिलेगा, राज्य में उच्च भंडारण क्षमता और प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना होगी, इसलिए, इस विषय को काफी गंभीरता से लेना होगा। जहां तक क्रेडिट प्लानिंग का सवाल है, हमने अगले साल 2021-22 के लिए सभी जिलों के लिए पीएलपी तैयार कर लिया है और इसे एकत्र किया जा रहा है, और शीघ्र ही दिसंबर के महीने में, हम PLP परियोजना को पेश करने के लिए एक राज्य क्रेडिट संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नाबार्ड द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए क्षेत्र विकास योजना तैयार की है। यह लगभग 1542 करोड़ रुपये तक का है और इसके लिए कई गतिविधियों का चयन किया गया है जैसे:- पशु-पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, इत्यादि गतिविधियाँ हैं, जिन्हें अगले पांच साल की अवधि में लागू किया जाना है।

इस सम्बोधन के पश्चात आरबीआई के महाप्रबंधक श्री सजीव दयाल को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। उन्होंने सम्बोधन के शुरुआत में सीडी रेशियो में भारी गिरावट का जिक्र करते हुए बताया कि प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, एमएसएमई तथा एसीपी के आंकड़े काफी हतोत्साहित करने वाले आंकड़े हैं एवं इसमें यथाशीघ्र सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि एसएलबीसी द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ भू अभिलेखों के अपडेशन की दिशा में बैठक की गई, जो एक सकारात्मक कदम है। राज्य सरकार को इस संबंध में सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके तथा इससे भूमि पर बैंकों द्वारा ऑनलाइन प्रभार के प्रावधान का भी पता लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार को आंध्र प्रदेश द्वारा अपनाए गए Model Land Leasing Act. का संदर्भ लिया जा सकता है। साथ ही साथ इस विषय के लिए नीति आयोग द्वारा जारी Model Land Leasing Act. का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

श्री दयाल द्वारा राज्य के जामताड़ा जिले में साइबर अपराधों का केंद्र होने पर चिंता जाहीर की गयी। उन्होंने अन्य कई राज्यों के तर्ज पर झारखंड राज्य के शिक्षा-पाठ्यक्रम में आरबीआई, सेबी, PFRDA, IRDA के सहयोग से तैयार वित्तीय- जागरूकता पाठ्यक्रम के रूप में अपनाए जाने की जरूरत पर बल दिया।

उन्होंने कुछ बैंकों जैसे; एयरटेल पेमेंट्स बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा एटीआर या जरूरी डेटा जमा नहीं करने की जानकारी आती है, जो किसी भी दृष्टिकोण न तो स्वीकार्य है और न ही सहनीय है एवं इस संबंध में एसएलबीसी को इन बैंकों के चेयरमैन, एमडी सीईओ को पत्र लिखने की बात कही। पीएमईजीपी, एनआरएलएम, केसीसी जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदनों की लंबी पेंडेंसी न केवल शाखाओं की प्रभावहीनता को दर्शाती है, बल्कि इसकी जिम्मेवारी बैंक नियंत्रण प्रमुखों की भी है। उन्होंने विशेष रूप से एसबीआई के मामले में रिपोर्टिंग तंत्र, आंतरिक पुनर्गठन के बाद, सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस संबंध में एसएलबीसी को सीजीएम एसबीआई एलएचओ पटना के साथ पूरी गंभीरता से बात करने का अनुरोध किया और साथ ही साथ आगामी बैठकों में इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने एसएलबीसी की महत्वपूर्ण बैठकों में, बैंकों से उचित प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कही, जो सभा को सही जानकारी दे सके।

श्री दयाल ने सभा को बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर National Centre for Financial Education के द्वारा 2020-25 तक के लिए वित्तीय-साक्षरता हेतु नए दिशानिर्देश जारी किया गया है। यह दिशानिर्देश National Centre for Financial Education (NCFE) द्वारा आरबीआई, सेबी, IRDAI, PFRDA एवं DFS के सहयोग से तैयार किया गया है। यह दिशानिर्देश एसएलबीसी के माध्यम से सभी स्टेकहोल्डर्स को वित्तीय साक्षरता हेतु 2020-25 के लिए जारी किया जाना चाहिए।



उन्होंने सभा को जानकारी दी कि आरबीआई ने हाल ही में संशोधित extant Priority Sector Guidelines जारी किया है। इस नई दिशानिर्देश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 से सभी जिले को High per capita PSL एवं low per capita PSL में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड में रांची जिला High per capita PSL तथा चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, जामतारा, खूंटी, लातेहार, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज एवं सिमडेगा सहित 12 जिले Low per capita PSL में वर्गीकृत है। यह दिशानिर्देश RRBs, UCBS, LABs एवं विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होती है।

अंत में उन्होंने सभा को जानकारी दी कि पूर्वी सिंहभूम के 100% डिजिटल करने की उपलब्धि की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने जिले में अपनी शाखा रखने वाले बैंकों के प्रमुखों से अनुरोध किया कि इस संबंध में ससमय रिपोर्टिंग एवं उचित कार्य-विधि हेतु अपने अधिनस्थ शाखाओं को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें।

इस सम्बोधन के पश्चात के श्री अबूबकर सिद्दीख, सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विभाग द्वारा डेयरी, फिशेरी एवं पीएम किसान के लाभकों के केसीसी आवेदन विभिन्न बैंकों में जमा किये जा रहे हैं। उन्होंने सभी बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुखों से अनुरोध किया कि इन आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करें। श्री सिद्दीख ने कहा कि झारखंड मिल्क फेडरेशन को दुग्ध की आपूर्ति करने वाले डेयरी किसानों को ऋण देने में बैंकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन किसानों द्वारा दुग्ध की आपूर्ति का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है जिससे ऋण देने के बाद बैंकों को ऋण वसूली में सहूलियत होगी। इन सबके बावजूद ऋण स्वीकृति संतोषजनक नहीं होना चिंता का विषय है। इसी क्रम में उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के Dairy एवं Fisheries विभाग के द्वारा सृजित आवेदनों को विभाग सत्यापित करने के बाद ही शाखाओं को भेजा जाता है, किन्तु इसके बाद भी इन योजनाओं में प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध स्वीकृति नगण्य है। उन्होंने सभी बैंकों, अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवं राज्य सरकार के संबन्धित विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे आपसी तालमेल से डेयरी - फिशेरी के आवेदनों का निष्पादन करें।

उन्होंने सभा को बताया कि राज्य में 31.85 लाख किसानों ने पीएम सम्मान निधि का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 28 लाख से अधिक किसानों को First Level Acceptance दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य के 18 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है। एसएलबीसी को बैंकों द्वारा दी गई रिपोर्टिंग के अनुसार राज्य में सितम्बर 2020 तक 13.78 लाख किसानों को केसीसी दिया गया है, जिसमें 7.48 लाख पीएम किसान सम्मान निधि के लाभक हैं। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि शेष बचे पीएम किसान के लाभकों को केसीसी योजना का लाभ प्रदान करने हेतु विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है तथा एसएलबीसी को इसकी समीक्षा हेतु सभी बैंकों, एलडीएम एवं राज्य सरकार के संबन्धित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ साप्ताहिक बैठक करने का अनुरोध किया।

श्री सिद्दीख ने सभा को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 2020-21 की जानकारी देते हुये सभा को बताया कि इस योजना हेतु राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 2,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि एसएलबीसी को सभी केसीसी खातों की जानकारी MS EXCEL फ़ारमेट में यथाशीघ्र प्रदान करें। राज्य सरकार, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 2020-21 हेतु विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र जारी करेगी।

इस सम्बोधन के पश्चात के श्रीमती आराधना पटनायक, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। उन्होंने DAY NRLM के अंतर्गत एसएचजी क्रेडिट लिंकेज की कुल उपलब्धि पोर्टल के अनुसार, 30 सितम्बर 2020 तक 42.82% की है। उन्होंने सभी बैंकों के Controlling Heads से अनुरोध किया कि अगले दो महीने (नवम्बर एवं दिसम्बर) में जेएसएलपीएस की मदद से शिविर आयोजित कर सभी लंबित एसएचजी ऋण का वितरण करें। कोविड महामारी को देखते हुये ऋण-शिविर में सभी सावधानियों जैसे कि Face mask, Sanitizer आदि का उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सभी बैंकों को एसएचजी क्रेडिट लिंकेज हेतु मार्च 2020 का लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने सभा को बताया कि अधिकतर शाखाएँ नए एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज में रुचि नहीं ले रहे हैं एवं राज्य में एसएचजी क्रेडिट लिंकेज का औसत रु 63,000/-, जो कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम



है। अतः उन्होंने सभी बैंकों के Controlling Heads से अनुरोध किया कि वे लंबित एसएचजी आवेदनों के साथ-साथ नये एसएचजी आवेदनों को भी स्वीकृत एवं वितरित करें तथा प्रत्येक एसएचजी को कम से कम एक लाख का ऋण स्वीकृत किया जाए। उन्होंने बैंकों से यह भी अनुरोध किया कि वैसे एसएचजी जिन्हे पूर्व में 1 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया था उन्हें आगे 2 लाख, जिन्हे 2 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया था, उन्हें आगे 3-4 लाख का ऋण दिया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि एसएचजी क्रेडिट लिंकेज हेतु विभिन्न बैंकों में नये 18603 आवेदन लंबित हैं और 5404 आवेदन बैंक शाखाओं द्वारा नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने बैंकों के Controlling Heads से अनुरोध किया है कि वे अपनी शाखाओं को सभी आवेदनों को निष्पादित करने के लिए निर्देशित करें। इस संबंध में जेएसएलपीएस टीम के जिला समन्वयकों को निर्देश दिया गया है कि वे 25,000 नये एसएचजी ऋण आवेदन सृजित करें तथा बैंकों में इसी महीने तक जमा करें तथा उन्होंने सभी नियंत्रण प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे नवंबर-दिसम्बर के महीने में शिविर के माध्यम से सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन में तेजी लाएं। इसी क्रम में, उन्होंने एसएचजी ऋण खातों में बैंकों द्वारा लिये जा रहे प्रोसेसिंग चार्ज का भी जिक्र किया तथा बैंकों से एसएचजी ऋण स्वीकृति में प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेने हेतु शाखाओं को निर्देशित करने को कहा।

इसके अतिरिक्त उन्होंने एसएचजी की महिलाओं को विभिन्न बैंकों में बीसी के रूप नियुक्त करने हेतु प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में एसएचजी की महिला सदस्य को बीसी नियुक्त करने एवं उसके पंचायत भवन में कार्य करने की योजना की जानकारी दी तथा सभी बैंकों के Controlling Heads से अनुरोध किया कि वे अपनी शाखाओं को इस दिशा में कार्य करने हेतु निर्देशित करें।

श्रीमती पटनायक महोदया द्वारा सभा को बताया गया कि राज्य के सभी RSETI में कोविड महामारी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुये शुरू करने का निर्देश दिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में डेयरी एवं फिशरी से जुड़े किसानों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने RSETI भवन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुये बताया कि अभी 10 RSETI भवन का कार्य प्रगति में है जिसमें एसबीआई के 7, इंडियन बैंक के 2 एवं बैंक ऑफ इंडिया का 1 है। उन्होंने रामगढ़ RSETI के संबंध में जानकारी दी कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भवन निर्माण हेतु आबंटित राशि बैंक ऑफ इंडिया को हस्तांतरण हेतु आदेश जारी किया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा भूमि का आबंटन भी किया जा चुका है। अतः बैंक ऑफ इंडिया से अनुरोध किया गया कि रामगढ़ RSETI का निर्माण कार्य प्रारम्भ करें। उन्होंने RSETI डाइरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया में MoRD के नये दिशानिर्देश का जिक्र करते हुये बैंकों से अनुरोध किया कि वे भविष्य में इस पद पर 45 वर्ष के कम आयु के अधिकारियों की ही नियुक्ति करें। तत्काल में जहाँ RSETI डाइरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है या जो अगले एक-दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें छुट दिया जा सकता है।

इस सम्बोधन के पश्चात के श्रीमती हिमानी पाण्डेय, सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड सरकार को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। उन्होंने सर्वप्रथम राज्य के सीडी रेशियो में गत वर्ष की तुलना में सितम्बर 2020 में भारी गिरावट का जिक्र करते हुये बताया कि इस तिमाही में राज्य का core CD Ratio घटकर 38.86% हो गया है तथा स्टेट बैंक एवं यूनियन बैंक के अतिरिक्त अन्य सभी PSUs बैंक का CD Ratio राज्य के औसत से कम है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के अधिकतर जिलों का सीडी रेशियो राज्य के औसत से कम है तथा कुछ जिले जैसे सराईकेला, जिनका CD Ratio 80% के लगभग होता था, उनका भी सीडी रेशियो घटकर 49.82% रह गया।

उन्होंने राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण कृषि ऋण माफी योजना 2020-21 का जिक्र करते हुये सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु केसीसी का डाटा सरकार को दें। उन्होंने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना की धीमी प्रगति की समीक्षा करते हुये बताया कि ECLGS, PM SVANidhi एवं KCC Saturation Drive में एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक आदि मुख्य बैंकों को अधिक कार्य करने की जरूरत है। पीएम स्वनिधि योजना में बैंकों के पास लंबित सभी आवेदनों को अविलंब स्वीकृत एवं वितरित करने की आवश्यकता है एवं बैंकों को इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने सभा को बताया कि बैंकों की विभिन्न शाखाओं में लंबित सरफेसी के मामलों को शीघ्र निष्पादित करने हेतु जिला उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है।



उन्होंने राज्य के सीडी रेशियो में सुधार एवं प्रगति के लिए बैंकों को जिलावार लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही। साथ ही, उन्होने बताया कि राज्य में मुख्यतः खरीफ की खेती की जाती है। इसी समय किसानों को केसीसी की अधिक आवश्यकता होती है, किन्तु राज्य में इस वर्ष खरीफ के मौसम में केसीसी ऋण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि कृषि के क्षेत्र में अधिक-से-अधिक ऋण स्वीकृत करें, जिससे राज्य में कृषि क्षेत्र में आवश्यक विकास हो सके। इसके साथ ही, उन्होने इस वित्तीय वर्ष के शेष दो तिमाही में कृषि के क्षेत्र में निर्धारित एसीपी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बैंकों से आग्रह किया।

इस सम्बोधन के पश्चात के डा० मदनेश मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। उन्होने सर्वप्रथम एसएलबीसी की बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों की उपस्थिति पर प्रसन्नता जाहीर की। उन्होने बताया कि झारखंड से माननीय संसद श्री संजय सेठ एवं श्री जयंत सिन्हा जी भारत सरकार के स्टैंडिंग कमेटी ऑन फ़ाइनेंस के सदस्य हैं तथा उनके द्वारा राज्य के ऋण-प्रवाह एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु किसी भी सुझाव का स्वागत किया जाना चाहिए तथा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

उन्होंने सीडी रेशियो की गिरावट का जिक्र करते हुये कहा कि बैंकों को इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होने बैंकों को सलाह दिया कि बैंक अपने Credit-Flow को सही दिशा में ले जाए, जिससे उनके सीडी रेशियो में उचित सुधार हो सके। उन्होने एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में नाबार्ड के विचारों का समर्थन किया तथा कहा कि जिला स्तर पर एसएचजी की महिलाओं को रोजगार देने के लिए विशेष योजना बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे बैंकों द्वारा एसएचजी क्रेडिट लिंकेज का सही लाभ स्वयं सहायता समूहों से जुड़े महिलाओं को मिल सके। उन्होने आगे कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र में अच्छा कार्य किया जा रहा है। एमएसएमई के क्षेत्र में कोविड महामारी में लॉकडाउन के कारण जो मंदी आयी थी, वो अब धीरे-धीरे खत्म हो रही है। भारत सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं में बैंकों के द्वारा ECLGS, PM SVANidhi एवं KCC Saturation Drive में अच्छा कार्य किया जा रहा है तथा इस वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में इसमें और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि PM SVANidhi योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के अधिक-से-अधिक आवेदन सृजित कर बैंकों को भेजें, जिससे राज्य के सभी स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ मिल सके। भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है।

उन्होंने एसएचजी ऋण खातों में बैंकों द्वारा लिये जा रहे प्रोसेसिंग चार्ज का जिक्र करते हुये कहा कि एसएलबीसी को सभी बैंकों के नियंत्रकों से इसकी दिशानिर्देशों की जानकारी करनी चाहिए, यदि यह चार्ज लिया जाना है, तो तर्कसंगत होनी चाहिए और यदि चार्ज नहीं लिया जाना है, तो बैंकों को तत्काल इसकी जानकारी अपनी शाखाओं को देनी चाहिए तथा लगे हुये चार्ज को खाते में वापस भी करना चाहिए। उन्होने बैंकों को एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के दिये गए लक्ष्य को पूरा करने का आग्रह किया।

आगे, उन्होने बैंकों द्वारा ATR में दिये गए जवाब का जिक्र करते हुये बताया कि कुछ ATR के जवाब में "Noted For Compliance" या स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है। उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि वे आगे से ATR का जवाब देते समय इसकी प्रगति, डाटा के साथ दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने सभा को जानकारी दिया कि राज्य सरकार एवं भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, जिसमें क्रेडिट लिंकेज, इंटरैस्ट सब्सिडि आदि होते हैं, के लिये भारत सरकार द्वारा एक यूनिफ़ोर्म कॉमन पोर्टल शुरू किया जा रहा है जिसमें सभी सरकारी योजनाओं के लिये आवेदन सृजित किए जाएंगे तथा उसे बैंकों के माध्यम से स्वीकृत एवं अद्यतन किया जाएगा।

अंत में, उन्होने सभी बैंकों से आग्रह किया कि कृषि, एमएसएमई एवं ओपीएस के क्षेत्र में दिये गए लक्ष्यों (ACP Target) को यथाशीघ्र प्राप्त करते हुये, अगले वित्तीय वर्ष में और अच्छा कार्य करते हुये एक माइलस्टोन स्थापित करें। उन्होने राज्य सरकार द्वारा डिजिटल ई-स्टांपिंग को लागू करने के लिए आभार व्यक्त किया तथा बताया कि अगले वर्ष से डिजिटल ई-स्टांपिंग पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्होने एसएलबीसी की बैठक में शामिल होने के लिए आरबीआई के महाप्रबंधक, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एवं झारखंड सरकार के सभी प्रधान सचिवों को धन्यवाद दिया।



## **व्यवसाय सत्र :**

14 अगस्त 2020 को 72 वी. SLBC की बैठक में प्रस्तुत सभी Agenda Items की इस सभा में सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा संपुष्टि की गयी।

### **राज्य सरकार से संबन्धित मामले**

**23.05.2019**, को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए बैठक में संविदा पर नीलाम पत्र पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी निर्देश दिये गए हैं। उक्त निर्देश के आलोक में सभी जिलों में लंबित नीलाम पत्रों की संख्या के अनुसार नीलाम पत्र पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों (संदेशवाहक, पेशकार-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर) की संविदा पर नियुक्ति एवं उनपर होने वाले अनुमानित व्यय का आंकलन कर, संबन्धित प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। एसएलबीसी की बैठक में नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कि लोहरदगा एवं चाईबासा जिले में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शेष जिले में नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, संयुक्त सचिव के द्वारा राज्य सरकार को प्रक्रिया को अविरोध पूर्ण कर एसएलबीसी को अवगत कराने कहा गया।

(एक्शन-राज्य सरकार)

### **Implementation of Digital E-Stamping facility on Bank Guarantees**

IBA के दिशानिर्देश के आलोक में **Digital E-Stamping facility on Bank Guarantees** को राज्य में लागू करने हेतु NeSL के अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने विस्तार से बताया। इस संबंध में बताया गया कि बैंकों के Head office / Corporate office द्वारा NeSL के platform पर integrate कराया जा रहा है। बैंकों को यथाशीघ्र इंटीग्रेशन कराने हेतु अपने Head office से विचारविमर्श करके E-Stamping की व्यवस्था को लागू करनी है।

(एक्शन-राज्य सरकार)

### **सर्टिफिकेट केस के मामले**

महाप्रबंधक SLBC ने Certificate केस का जिक्र करते हुए जानकारी दी गयी कि राज्य में अभी भी certificate केस के मामले भिन्न कोर्ट में लंबित हैं जिन पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। DRT केस की सीमा 10.00 लाख से बढ़ाकर 20.00 लाख कर दी गयी है जिससे सर्टिफिकेट केस के अंतर्गत 20.00 लाख तक के सभी ऋणों को Certificate officer के समक्ष पेश करना है। इस विषय के अनुपालन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यालयों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है।

सर्टिफिकेट केस एवं सरफेसी केस में अभी भी 11,946 सर्टिफिकेट केस एवं 333 सरफेसी केस के मामले विभिन्न कोर्ट में लंबित हैं, जिन पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। इस संबंध में सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने बैंक में लंबित सभी सर्टिफिकेट केस एवं सरफेसी केस की ऋणी के नामवर सूची एसएलबीसी को 31.12.2020 तक उपलब्ध कराये, जिससे उस लिस्ट को राज्य सरकार के पास उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

(एक्शन-राज्य सरकार/सभी बैंक )

### **BC Certification**

IBA के दिशा निर्देशों के अनुसार Commercial Banks एवं Payment Banks के बीसी Graded Certification की ज़रूरत है। वैसे सभी BC जिन्होंने जुलाई 2019 के बाद BC OPERATION शुरू किया है, उन्हें 09 महीने के अंदर Certificate लेना है। BC रजिस्ट्री के साथ ट्रेकिंग सिस्टम जैसे BC का नाम, लोकेशन, ऑपरेशन एरिया इत्यादि के बारे में IBA के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुपालन करना है। सभी बैंकों द्वारा बताया गया कि IBA द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का सभी बैंकों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

(एक्शन - सभी बैंक/पेमेंट बैंक)

### **PMAY- प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की स्थिति**

राज्य में PMAY-U योजना में बैंकों का प्रदर्शन अभी भी संतोषजनक नहीं है। शाखाओं में इसके लंबित पड़े पात्रता रखने वाले आवेदकों के आवेदनों पर समय पर विचार किया जाना है। साथ ही इसे स्वीकृत कर Subsidy का Claim सम्बंधित विभाग से निर्धारित समयसीमा पर कर लेना है। बैंकों ने बताया कि उन्होंने अपनी सभी शाखाओं को PMAY-U योजना के अंतर्गत लंबित पड़े पात्रता रखने वाले आवेदकों के आवेदनों को शीघ्र निपटारा करने एवं पात्र सब्सिडी का क्लेम शीघ्र कर लेने का निर्देश दिया गया।

(एक्शन - सभी बैंक)

### **कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित केसीसी Saturation कैम्पेन में सभी Uncovered farmers को केसीसी प्रदान करने के विषय में**

दिनांक 24.04.2020 को कृषि उप समिति की बैठक में पीएम किसान योजना के अंतर्गत सभी लाभूकों को केसीसी प्रदान करने हेतु Uncovered Farmers की जिलेवार सूची बनानी है। इस कार्य हेतु राज्य के सभी जिलों में DDC की अध्यक्षता में





कमिटी का गठन किया जा चुका है। इस कमिटी के अन्य सदस्य एलडीएम, जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी बैंक शामिल हैं। इस कमिटी के द्वारा सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार विमर्श कर जिले के सभी Uncovered कृषकों की सूची तैयार कर केसीसी ऋण स्वीकृत करना है। सभी एलडीएम को जिले के उपायुक्त से समन्वय स्थापित कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभकों को केसीसी से आक्षादित करना है। कृषि विभाग, झारखंड सरकार से अनुरोध किया गया कि वे इस कार्य हेतु हमारे एलडीएम को सहयोग करें, जिससे जिलेवार Uncovered Farmers का आवेदन सृजित कर बैंकों में जमा हो सके, जिससे उन्हें केसीसी योजना से लाभान्वित किया जा सके।

(एक्शन- एलडीएम, जिला कृषि विभाग)

#### एफएलसीसी की नियुक्ति

02 जिलों गिरिडीह तथा बोकारो में FLC Counselor के पोस्ट खाली हैं जिन पर जल्द से जल्द नियुक्ति BOI को करनी है। RBI के Guidelines के अनुपालन में सभी Rural Branches को महीने में एक बार Financial Literacy Camp लगाना है। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जानकारी दी गई कि गिरिडीह एवं बोकारो में FLC Counsellor की नियुक्ति 31 दिसम्बर 2020 तक कर ली जाएगी।

(एक्शन-बीओआई)

#### SLBC पोर्टल पर Standardized सिस्टम के तहत डाटा FLOW

इस संबंध में सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक कर SLBC द्वारा बैंको को सूचित किया जा चुका है। RBI ने दिनांक 16 जनवरी 2020 को पत्र के माध्यम से सभी SLBC CONVENOR बैंको को इस विषय के आलोक में उचित दिशा निर्देश दिया गया था। दिनांक 23.01.2020 को RBI ने ईमेल के द्वारा Block Codes की अद्यतन सूची प्रदान की। SLBC के द्वारा सभी बैंको को 263 Block की सूची ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इस कार्य की प्रगति की समीक्षा मोनिट्रिंग कमेटी द्वारा निरंतर अंतराल पर की जा रही है। इस संबंध में SLBC द्वारा सभी बैंको को LOGIN ID एवं पासवर्ड प्रदान किया जा चुका है एवं बैंको को 263 Block की सूची ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही साथ सभी बैंकों को न्यू डाटा फ्लो सिस्टम के अंतर्गत दिसम्बर, 2020 तिमाही की रिपोर्टिंग New Data Flow के पोर्टल पर करनी है।

(एक्शन-सभी बैंक)

#### PMEGP के अंतर्गत लंबित आवेदन की स्थिति

सभी बैंको से PMEGP schemes के तहत लंबित आवेदनों के अतिशीघ्र निष्पादन करने का आग्रह किया गया। साथ ही साथ PMEGP के अंतर्गत मार्जिन मनी का क्लेम भी ससमय करने की आवश्यकता है। सभी बैंकों ने अपने शाखाओं को पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत लंबित पड़े पात्रता रखने वाले आवेदकों को शीघ्र स्वीकृत कर वितरण करने एवं अगर कोई आवेदन जिस पर विचार नहीं किया जा सकता है, उन्हें शीघ्र वापस करने का निर्देश दिया है।

(एक्शन – सभी बैंक/एलडीएम)

#### SHG / NRLM के अंतर्गत लंबित आवेदनों की स्थिति

वित्तीय वर्ष में कुल 88,420 एसएचजी ग्रुप को 938 करोड़ ऋण वितरित करने का लक्ष्य दिया गया। जिसमें से सितम्बर, 2020 तक उपलब्धि 45% ही रही है। अभी भी 18603 आवेदन विभिन्न शाखाओं में लंबित पड़े हैं, इन लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने को कहा गया। अपने सभी शाखाओं को SHGs के अंतर्गत लंबित पड़े पात्रता रखने वाले आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा कर लेने का निर्देश दे दिया गया है। आरबीआई के सर्क्युलर के अनुसार 10 लाख तक के लिए एसएचजी फ़ाइनेंस collateral free करना है एवं 10 लाख के ऊपर एसएचजी फ़ाइनेंस के लिए सभी बैंक स्वतंत्र है। एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के संदर्भ में JSLPS द्वारा लंबित आवेदनों की संख्या निम्न बताई गई :-

कुल आवेदनों की संख्या :- 18,603

30 दिनों से कम समय से लंबित आवेदनों की स्थिति :- 6697

30 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों की स्थिति :- 11906

(एक्शन –सभी बैंक/एलडीएम/जेएसएलपीएस)



### एरिया बेस्ड स्कीम

AREA BASED DEVELOPMENTS SCHEME के संदर्भ में सभी LDM को सुझाव दिया जाता है कि इस बारे में और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। AREA BASED DEVELOPMENT SCHEME की जानकारी SLBC की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गयी है। इस संबंध में जिले के सभी बैंकों को इसकी जानकारी विभिन्न बैठकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

(एक्शन – सभी एलडीएम)

### DLCC की बैठक

एलडीएम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जून, 20 तिमाही की DLCC की बैठक सभी जिलों में करायी जा चुकी है। साथ ही साथ राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में BLBC की बैठक किया जा चुका है। सभी एलडीएम को BLBC / DLCC की बैठक ससमय करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(एक्शन – सभी एलडीएम)

### Deepening of Digital Payments के लिए SLBC sub-committee का गठन

आरबीआई के पत्र संख्या FIDD.CO.LBS.475/02.01.001/2019-20 दिनांक 27.08.2019 के आलोक में SLBC Convenor बैंक को SLBC Sub Committee on Digital Payments गठित करने को कहा गया था। इस संबंध में SLBC द्वारा सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ दिनांक 20.12.2019 को बैठक की गयी, जिसमें इस विषय पर विस्तृत परिचर्चा के उपरांत SLBC Sub-Committee का गठन किया जा चुका है। हालाँकि इस संबंध में RBI द्वारा SLBC को रोड map तैयार कर सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग करनी है।

(एक्शन – सभी बैंक/एलडीएम)

### MSMEs के लिए Interest Subvention

MSME Sector को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2020 तक Additional Finance पर Interest Subvention देने का प्रावधान है जिसका इम्प्लैमेंटेशन SIDBI को करना है। Jharkhand Small Industry Association से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के eligible MSMEs को Interest Subvention का लाभ नहीं मिल प रहा है। बैंकों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सैक्टर में अतिरिक्त ऋण देने का प्रयास किया जा रहा है साथ ही Interest Subvention के प्रावधान का अनुपालन की जानकारी चिन्हित कर ली गई है।

(एक्शन – सभी बैंक)

### RSETI

बैंक शाखाओं में Rseti Creditlinkage के लंबित आवेदन का जल्द निपटारा करना है इस संबंध में सभी बैंको एवं को ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंकों ने बताया कि उनके द्वारा अपनी अपनी सभी शाखाओं को RSETI क्रेडिट linkage के लंबित पड़े आवेदनों को शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दे दिया गया है।

(एक्शन – सभी बैंक/एलडीएम)

रामगढ़ RSETI का बैंक ऑफ़ इंडिया को हस्तांतरण की अनुमति मिल चुकी है एवं पीएनबी द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया को RSETI भवन निर्माण हेतु आबंटित राशि का भी हस्तांतरण किया जा चुका है। बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा भवन निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है।

(एक्शन – बीओआई)

### LDMs के लिए Capacity Building प्रोग्राम

आरबीआई के दिशानिर्देशनुसार सभी LDM के लिए तीनों अग्रणी बैंकों ( इंडियन बैंक, बीओआई एवं एसबीआई ) द्वारा हर तिमाही में एक बार Capacity Building प्रोग्राम करना है पिछली दो तिमाही से एलडीएम के लिए Capacity Building प्रोग्राम का आयोजन नहीं किया जा सका है। इस संबंध में आरबीआई द्वारा तीनों बैंकों को प्रतिनिधि से जल्द से जल्द सभी जिले के एलडीएम के लिए Capacity Building प्रोग्राम करने को कहा गया, जिसपर उनके प्रतिनिधि द्वारा सहमति दिया गया।

(एक्शन – BOI/ SBI/INDIAN BANK)

### **Doubling ऑफ Farmers Income by 2022**

इस विषय के संबंध में सभी बैंको को एकीकृत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। हालाँकि, कृषि के क्षेत्र में ACP टारगेट 2019-20 के सापेक्ष वार्षिक उपलब्धि काफी निरासाजनक है। सभी LDMs इस विषय पर Monitoring एवं Progress review के लिए NABARD द्वारा सुझाए Benchmark को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को इस वित्तीय वर्ष (2020-21) से हर DCC/DLRC की बैठक में शामिल करना है। सभी एलडीएम से आग्रह किया गया है कि प्रत्येक DCC एवं DLRC की बैठक में इसे रेगुलर अजेंडा में शामिल किया जाय तथा बैठक की कार्यवाही नाबार्ड /RBI /एसएलबीसी को प्रेषित करने को कहा गया।

(एक्शन – सभी एलडीएम)

### **विविध कार्यसूची**

1. **CD ratio** :- राज्य के 19 जिलों में ऋण जमा अनुपात 40% से कम रहा है। जिले के DCC/DLRC के अंतर्गत सीडी ratio के Sub-Committee में इसकी चर्चा की जानी चाहिए। CD ratio से संबंधित पिछले तिमाही का Monitorable action plan सभी 18 जिलों के LDM के द्वारा SLBC को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में वैसे सभी जिले, जिनका सीडी रेशियो 40% से कम है, उनके LDM को जिले का Monitorable action plan SLBC इस माह के अंत तक प्रेषित करना है।

(एक्शन-सभी LDMs)

2. **पीएम किसान लभकों के uncovered farmers की सूची** :- दिनांक 24.04.2020 को कृषि उप समिति की बैठक में पीएम किसान योजना के अंतर्गत सभी लाभकों को केसीसी प्रदान करने हेतु Uncovered Farmers की जिलेवार सूची बनानी है। इस कार्य हेतु राज्य के सभी जिलों में DDC की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया जाना है। इस कमिटी के अन्य सदस्य एलडीएम, जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी बैंक हैं। इस कमिटी द्वारा सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार विमर्श कर जिले के सभी Uncovered कृषकों की सूची तैयार कर केसीसी ऋण स्वीकृत करना है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सभी एलडीएम के द्वारा कुल 5.23 लाख uncovered फार्मर्स की संख्या बतायी गयी है, अभी तक 23 जिलों से सूची प्राप्त हो चुकी है। केवल पाकुड़ जिले की सूची अप्राप्त है। कृषि विभाग, झारखंड सरकार से अनुरोध है कि Uncovered फार्मर्स के KCC ऋण हेतु एप्लिकेशन Sourcing में बैंको तथा एलडीएम को सहयोग करें, जिससे जिलेवार Uncovered Farmers को बैंको द्वारा तय समय में केसीसी उपलब्ध कराया जा सके।

(एक्शन-एलडीएम/बैंक)

3. **डेरी किसानों को स्पेशल ड्राइव के माध्यम से animal Husbandry एवं Fishery के लिए केसीसी** :- केंद्र सरकार, Department of Animal Husbandry & Fisheries द्वारा 01.06.2020 से देश के सभी डेरी कॉ-ओपरेटिव को दूध की आपूर्ति करने वाले निर्बंधित किसानों को स्पेशल ड्राइव चलाकर केसीसी प्रदान करने की योजना है। यह योजना भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। इस संबंध में राज्य के झारखंड राज्य मिल्क फ़ैडरेशन, झारखंड डेरी विभाग तथा झारखंड मत्स्य विभाग द्वारा आवेदन सृजित किया जा रहा है, जिसे संबन्धित बैंको द्वारा आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर केसीसी ऋण स्वीकृत किया जाना है, किन्तु उचित संख्या में आवेदन सृजित होने के बावजूद बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत बहुत कम है।

(एक्शन-सभी एलडीएम/बैंक)

4. **पौजी योजनाये/असंगठित निकायों, फ़र्म / कम्पनियों की अवैध गतिविधिया-** इस संबंध में RBI DGM ने बताया कि ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलने पर उसका Modus operandi SLBC को प्रेषित करना चाहिए जिससे कि संबन्धित घटना को SLBC बुक में प्रकाशित किया जा सके।

(एक्शन-सभी बैंक/एलडीएम)

5. **Digital ज़िला चिन्हित करना-** RBI के Governor की 19 जुलाई 2019 को PSBs के MD/ED के साथ बैठक हुई थी। श्री नन्दन नीलकनी की अध्यक्षता में गठित Committee on Deepening of Digital Payments के रिपोर्ट तथा RBI के पेमेंट System Vision Documents 2021 के आधार पर गवर्नर RBI ने सभी राज्य के LEAD BANK को राज्य के एक ज़िले को चुनाव कर उस ज़िले को एक वर्ष की समय सीमा में पूर्ण डिजिटल करने का लक्ष्य दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया एवं SLBC ने पूर्वी सिंधभूम ज़िले को इस योजना के लिए चयन किया है। इस प्रक्रिया में बैंक ऑफ इंडिया के अलावा सभी बैंक, राज्य सरकार, RBI के राज्य कार्यालय का सहयोग अपेक्षित है। एलडीएम पूर्वी सिंधभूम के देखरेख में इस योजना को पूरा करना है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा ज़िले को निर्देश दिया जा चुका है। एलडीएम पूर्वी सिंधभूम के द्वारा बताया गया कि अभी तक OVERALL, 80% लक्ष्य की



प्राप्ति हो चुकी है। हालाँकि SLBC द्वारा सभी बैंको तथा MFIN कंपनियों से अनुरोध किया गया कि आरबीआई द्वारा निर्देश दिया गया कि तय लक्ष्यों को 31 मार्च, 202 से पहले हासिल करने का प्रयास करें।

(एक्शन-सभी बैंक, ज़िला प्रशासन/संबन्धित LDM)

6. **Less cash / डिजिटल बैंकिंग-** हमारे राज्य में less cash तथा डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। POS मशीन के क्षेत्र में और भी ज्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। Rupay card एक्टिवेशन के क्षेत्र में काफी धीमा कार्य हुआ है इस विषय पर भी सभी बैंको को ध्यान देने की आवश्यकता है। Rupay Card डिस्ट्रिब्यूशन के समय ही एक्टिवेशन को सुनिश्चित करने से digital transaction को बढ़ावा दिया जा सकता है।

(एक्शन-सभी बैंक)

7. **National Bamboo Mission-** भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान पुनः संरचित राष्ट्रीय बाँस मिशन की शुरुवात की गयी। नाबार्ड के द्वारा इस विषय में एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी। सभी बैंको को इस Mission को झारखंड राज्य में सफलीभूत करने के लिए ऋण प्रवाह करने की आवश्यकता है।

(एक्शन-सभी बैंक/NABARD)

8. **Doubling ऑफ Farmers Income by 2022-** इस विषय के संबंध में सभी बैंको को एकीकृत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। सभी LDMs इस विषय पर Monitoring एवं Progress review के लिए NABARD द्वारा सुझाए Benchmark को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को हर DCC, DLRC की बैठक में शामिल करना चाहिए। आगामी जून, 2020 तिमाही से सभी एलडीएम को DLCC/ BLBC में इस विषय को नियमित अजेंडा में शामिल करना है एवं DLCC/ BLBC की बैठक की कार्यवाही नाबार्ड /एसएलबीसी को उपलब्ध करानी है। सितम्बर, 2020 तिमाही की Doubling of Farmers Income by 2022 की प्रगति रिपोर्ट एसएलबीसी को सभी जिलों से ही प्राप्त हुई है। (नाबार्ड Circular No: 328/CPD-10/2019 दिनांक 31 December 2019)

(एक्शन-सभी बैंक/LDM/NABARD)

9. **RURAL HOUSING INTEREST SUBSIDY स्कीम:** National Housing Bank (एनएचबी) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में Housing लोन के लिए Interest subsidy की व्यवस्था है COVID-19 के दौरान बाहुतायत में Migrant labourer का झारखंड में आगमन हुआ है अतः सभी बैंको से अनुरोध किया गया कि इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर Rural Housing में interest subsidy प्रदान की जा सकती है। NHB को इस स्कीम के लिए नोडल agency बनाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए NHB से संपर्क किया जा सकता है।

(एक्शन-सभी बैंक/LDM)



(रवीन्द्र कुमार दास)  
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

